



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5732

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45018 / 2025

गौरव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभय कुमार, नागेंद्र कुमार सिंह, पुष्पेंद्र कुमार

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार द्विवेदी, शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री नागेंद्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए, श्री अजय कुमार द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए, श्री सुनील कुमार, विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, राज्य के लिए को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 147 / 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस., 2023 के अधीन, थाना खंडौली, जिला आगरा में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका नाम बाद में दर्ज सूचनाकर्ता के अनुपूरक बयान में आया है। आवेदक को एक कमजोर प्रकार का मकसद दिया गया है। तत्पश्चात, आवेदक के पुत्र का बयान लिया गया जिसके समक्ष आवेदक ने कथित रूप से उक्त अपराध स्वीकार किया। अन्यथा भी, आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 12.05.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे में सहयोग करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक के पुत्र ने स्वयं कहा है कि आवेदक ने उसके समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति की और आवेदक के इशारे पर एक फावड़े की बरामदगी हुई है, इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।
 7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम सूचनाकर्ता के अनुपूरक बयान में आया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्ट्या न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
 8. आवेदक गौरव, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
 9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
 10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।